बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)
(राजस्व शाखा)

Ph No:- 06189-223241(O)
Fax No:- 06189-223301
E-mail: dm-bhabhua.bih@nic.in

पत्रांक -XI-05-2022/...489.../रा0,

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
कैमूर(भभुआ)

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
बिहार पटना

भभुआ, दिनांक...05.../मार्च,2022

विषय :- **बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :- **भवदीय पत्र संख्या- 5425 दिनांक 05.03.2022 एवं संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार पटना का पत्रांक 1255/जे0, दिनांक 05.03.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में वर्णित कण्डिका के अनुसार कैमूर जिले का प्रतिवेदन निम्नवत् तैयार कर भेजा जा रहा है :-

क्र0	विषय	प्रतिवेदन
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या- 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO- 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका- 27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	कार्यालय आदेश ज्ञापांक 487/रा0, दिनांक 05.03.2022 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या- 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO- 33675 OF 2017) के कंडिका- 27 के अनुपालन हेतु सभी अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, कैमूर को आदेशित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमण्डलवार/ जिलावार खाता, खेसरा, रकबा(एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमण्डल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमण्डल में 3373 एकड़, तिरहूत प्रमण्डल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	कैमूर जिलान्तर्गत अंचलाधिकारी के द्वारा चिन्हित कर प्रतिवेदित किया गया है कि निबंधित/पंजीकृत मठ/मंदिरों/धार्मिक न्यास की संख्या कुल 22, रकबा 656.60 एकड़ एवं गैरपंजीकृत/अनिबंधित की संख्या- 307, रकबा 813.031 एकड़ कुल 1469. 631 एकड़ है। (सूची संलग्न)

Scanned with CamScanner

3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का माँग प्रतिवेदन।	कैमूर जिला के क्षेत्राधिकार में अवस्थित धार्मिक स्थल यथा मठ/मंदिर/धर्मशाला आदि की अचल सम्पत्ति (भूमि) के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक 299/ रा0, दिनांक 09.02.2022 द्वारा अंचलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं जमीन के सीमांकन/पैमाईश करने हेतु निदेशित किया गया है। सीमांकन/पैमाईश के पश्चात् पीलरिंग हेतु प्राक्कलन के आधार पर आवंटन की माँग की जाएगी। (आदेश की प्रति संलग्न)
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	अंचलाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण का प्रतिवेदन शून्य है। इस संबंध में धार्मिक न्यास की ओर से भी अतिक्रमण/अवैध कब्जा के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

5/3/2022

समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक 489/रा0, भभुआ, दिनांक 05/03/2022।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- सचिव, विधि विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/3/2022

समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)।

Scanned with CamScanner

समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)
(राजस्व शाखा)

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, बिहार, पटना मठ मंदिरों की भूमि का विवरण।

क्र0	जिला का नाम	कुल अंचल की संख्या	मठ मंदिरों/धार्मिक न्यास की संख्या/क्षेत्रफल एकड़ में				अभ्युक्ति
			पंजीकृत		गैर पंजीकृत		कुल क्षेत्रफल एकड़ में
			संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	
1	कैमूर(भभुआ)	11	22	656.6	307	813.031	1469.631

समाहर्त्ता,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with CamScanner

Ph No:- 06189-223241(O)
Fax No:- 06189-223301
E-mail: dm-bhabhua.bih@nic.in

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)
(राजस्व शाखा)

आदेश

विधि विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0- 1255/जे0, दिनांक 05.03.2022 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या- 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO- 33675 OF 2017) के कंडिका- 27 के अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है, जिसके अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अंकित है कि "देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है।"

अत: सभी अंचलाधिकारी, कैमूर/जिला अवर निबंधक, कैमूर/अवर निबंधन पदाधिकारी, मोहनियाँ/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, कैमूर को आदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या- 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO- 33675 OF 2017) के कंडिका- 27 का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/
समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक XI-05-22/-487/रा0, भभुआ, दिनांक 05/03/2022

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक, कैमूर/अवर निबंधन पदाधिकारी, मोहनियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ/मोहनियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/सामान्य शाखा, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/3/2022
समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)।

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)
(विधि राजस्व शाखा)

Ph No:- 06189-223319(O)
E-mail:adm.rev.bhabhua@gmail.com

आदेश

विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, बिहार सरकार का पत्र सं0-103/एम0(अनु0) दिनांक 31.01.2022 से प्राप्त दिनांक 27.12.2021 को माननीय विधि मंत्री, विधि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही की कण्डिका- 3(IV) में वर्णित है कि रिविजनल सर्वे/कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर मठ/मंदिर/ठाकुरबाड़ी के नाम से मिल रहे जमीन की वास्तविक स्थिति का अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के नेतृत्व में टाक्स फोर्स का गठन कर उस भूमि का सीमांकन कराया जाय।

उक्त के आलोक में जिला कैमूर के क्षेत्राधिकार में अवस्थित धार्मिक स्थल यथा मठ/मंदिर/धर्मशाला आदि अचल सम्पत्ति (भूमि) के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अंचलवार टाक्स फोर्स का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1.	अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियाँ(अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)	:-	अध्यक्ष
2.	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ/मोहनियाँ(अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)	:-	सदस्य सचिव
3.	सभी अंचलाधिकारी, कैमूर जिला(अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)	:-	सदस्य
4.	सभी प्रभारी अंचल निरीक्षक (अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत)	:-	सदस्य
5.	अंचल अमीन	:-	सदस्य
6.	संबंधित हल्का के हल्का कर्मचारी	:-	सदस्य

निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित धार्मिक स्थल यथा मठ/मंदिर/धर्मशाला आदि अचल सम्पत्ति (भूमि) के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु रिविजनल सर्वे/कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर मठ/मंदिर/ठाकुरबाड़ी आदि के नाम से मिल रहे जमीन का सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगें। तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी(अपर समाहर्त्ता, कैमूर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/-

समाहर्त्ता,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक वि0-02-2022/299/रा0, दिनांक 09/फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ/मोहनियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

8/2/2022

समाहर्त्ता,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with CamScanner